उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर।

सं. एनडब्ल्यूआर–एचक्यू0ओपीटीजी(संवनि)/6/2021 दिनांक 16.07.2025

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक– अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषय : होम सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्ते

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या–7

3.40. होम सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्ते.–

(1) जब कोई गाडी टर्मिनल स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन के निकट (होम) सिग्नल के पास पहुँच रही हो, तो निकट (होम) सिग्नल को तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि गाडी को पहले उसके बाहर खड़ा न कर दिया जाए, जब तक कि–

(क) दोहरी (डबल) लाइन पर, प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल के आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है; या

(ख) इकहरी (सिंगल) लाइन पर उन्मुख (ट्रेलिंग) कांटों से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है या गाड़ी के रुकने के नियत स्थान से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है।

(2) यदि गाड़ी को पहले निकट (होम) सिगनल के बाहर रोक लिया जाता है तो सिगनल को तभी 'ऑफ' किया जा सकता है, जब–

(क) दोहरी (डबल) लाइन पर, प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल तक लाइन साफ है अथवा

(ख) इकहरी (सिंगल) लाइन पर, अनुमुख (ट्रेलिंग) कांटों तक, या अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन गाड़ी के रुकने के लिए नियत स्थान तक लाइन साफ है।

(3) अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय, उप–नियम (1) में उल्लेखित पर्याप्त दूरी किसी भी दशा में–

(क) द्वि–संकेती लोअर क्वाड्रेंट या द्वि–संकेती रंगीन बत्ती सिगनलों के स्टेशनों पर, 180 मीटर से कम नहीं होगी, अथवा

(ख) बहु–संकेती सिगनल या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिगनलों के स्टेशनों पर, 120 मीटर से कम नहीं होगी।

(4) यदि जिस लाइन पर गाड़ी आने वाली है उसके लिए अनुमोदित डिजाइन का सैण्ड हम्प है या अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन डिरेलिंग स्विच की व्यवस्था है तो वे उप–नियम (3) में उल्लेखित पर्याप्त दूरी के कारगर एवजी माने जायेंगे।

नोटः– उ.प.रे. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सामान्य नियम 3.40 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

Digitally Signed by Gopal Krishna Sharma
उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)
Date: 16-07-2025 11:48:38
Reason: Approved